

नवांशहर में छात्रों ने सड़क सुधार की संभाली जिम्मेदारी सीमेंट, बजरी और रेत से छात्रों ने भरे गड्ढे, राहगीरों और वाहन चालकों की आवाजाही हुई आसान

भारतेंदु संवाददाता, नवांशहर

सड़क पर बने गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी के बीच आरके आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने समाजसेवा की मिसाल पेश की। शनिवार को कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय विशेष शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने कॉलेज के बाहर राहों रोड पर बने खतरनाक गड्ढों को खुद भरकर सड़क की मरम्मत की। विद्यार्थियों ने सीमेंट, बजरी और रेत का इस्तेमाल कर गड्ढों को भरने का काम किया।

कॉलेज के बाहर राहों रोड पर लंबे समय से सड़क की स्थिति खराब थी। जगह-जगह बने गड्ढों के कारण दलदल चलने वाले लोगों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी जमा होने से स्थिति और गंभीर हो जाती थी। पानी भरने के कारण कई बार गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता था, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का जिम्मा उठया। विशेष शिविर के दौरान विद्यार्थियों को भी प्रतिनिष्ट इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता था।



सड़क पर गड्ढों के कारण विद्यार्थियों को आवाजाही में दिक्कत होती थी। इसके अलावा आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को भी सड़क की बदहाल स्थिति के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही थी। ऐसे में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समस्या को देखते हुए केवल शिकायत करने के बजाय स्वयं आगे आकर मरम्मत का जिम्मा उठया। विशेष शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने पहले सड़क पर मौजूद गड्ढों की स्थिति देखी और इसके बाद

उनमें सीमेंट, बजरी और रेत डालकर उन्हें भरने का काम शुरू किया।

विद्यार्थियों ने श्रमदान करते हुए सड़क को आवाजाही के लिए अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने मिलकर गड्ढों को समतल किया, ताकि वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को पहले की अपेक्षा कम परेशानी हो। एनएसएस का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सेवा से जोड़ना है। इसी

उद्देश्य के तहत आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों ने सड़क की समस्या को भी समाजसेवा से जोड़कर काम किया। कॉलेज के बाहर सड़क की स्थिति सुधारने की इस पहल की स्थानीय स्तर पर चर्चा रही। स्थानीय लोगों ने विद्यार्थियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे राहगीरों को तत्काल राहत मिली है। विद्यार्थियों ने बताया कि भविष्य में भी एनएसएस के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के समाधान और जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी जारी रखेंगे।

पीयू सीनेट चुनाव में उत्साह, सात राज्यों के 271 बूथों पर मतदान जारी, 23 को मतगणना

पंजाब, हरियाणा समेत सात राज्यों में सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ जुटी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के लिए रविवार को मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मतदाता अपने मतार्थिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में सीनेट की 15 सीटों के लिए 51 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 6,25,784 पंजीकृत ग्रेजुएट मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं।

मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चलेगा। प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए 1500 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र की 15 सीटों में पंजाब



के लिए दो सीटें आरक्षित हैं, जबकि एक सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित है। बाकी 12 सीटें ओपन श्रेणी की हैं।

चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की हैं। विश्वविद्यालय की आधिकारिक चुनाव वेबसाइट पर मतदान और मतगणना से संबंधित कार्यक्रम भी जारी किया गया है।

मतदान के बाद 23 सितंबर को मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी।

17 साल से पेंशन बकाया का इंतजार 80 वर्षीय बुजुर्ग को हाई कोर्ट से न्याय

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 80 वर्षीय जगदीश राज अरोड़ा को बड़ी राहत दी है। वह करीब 17 साल से अपनी दिवंगत पत्नी सुदर्शन कुमारी की पेंशन के बकाया भुगतान के लिए सरकारी कार्यालयों और बैंक के चक्कर काट रहे थे। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों और बैंककर्मियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।



मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने जिला शिक्षा अनुसार, पेंशन बकाया का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। अदालत ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) और संबंधित बैंककर्मियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत की कार्रवाई के बाद 80 वर्षीय बुजुर्ग को करीब 17 साल से लंबित मामले में राहत की उम्मीद जगी है।

35 वर्षीय युवक की हादसे में मौत, परिवार को मिलेगा 43.25 लाख रुपए मुआवजा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। 30 हजार रुपये महीना कमाने वाले 35 वर्षीय युवक विनोद दास की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके परिवार को 43 लाख 25 हजार 760 रुपये का मुआवजा मिलेगा। चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिए।

मामला 20 मई 2022 का है। चंडीगढ़ के सेक्टर-52 कजहेड़ी निवासी विनोद दास मोटरसाइकिल से मोहाली के फेज-8 स्थित पुराने बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 8:45 बजे जब वह मोटरसाइस चौक के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें उपचार के

लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। विनोद की मौत के बाद परिवार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की। याचिका में परिवार की आर्थिक स्थिति और मृतक की आय सहित अन्य तथ्यों का उल्लेख किया गया।

परिवार की ओर से बताया गया कि विनोद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालते थे और उनकी आय से घर का खर्च चलता था। कम उम्र में उनकी मौत से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। मामले की सुनवाई के दौरान हादसे से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे गए। दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ट्रिब्यूनल ने याचिका स्वीकार करते हुए



परिवार को 43 लाख 25 हजार 760 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

फैसले के बाद मृतक के परिवार को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। विनोद की मौत सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करती है। हादसे के समय वह मोटरसाइकिल से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे गए। दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दुर्घटना हुई।

पीयू के इतिहास पाठ्यक्रम से पंजाब-सिख इतिहास हटाने पर विवाद

भारतेंदु संवाददाता, कपूरथला। पंजाब विश्वविद्यालय के एमए इतिहास पाठ्यक्रम से पंजाब और सिख इतिहास को हटाने के निर्णय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

जय्यंदर जुगराजपाल सिंह साही ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम से पंजाब और सिख इतिहास को हटाना विद्यार्थियों को उनकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से दूर करने जैसा है। जय्यंदर साही ने निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब का इतिहास देश और समाज के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और विरासत की जानकारी होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में पंजाब और सिख इतिहास को उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम से इन विषयों को हटाने का निर्णय पंजाब की विरासत को मिटाने की साजिश को जैसा है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और एमए इतिहास के पाठ्यक्रम में पंजाब तथा सिख में इतिहास को दोबारा शामिल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने संबंधित

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 48वीं चंडीगढ़ स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएसएफआई) के तत्वावधान में होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चंडीगढ़ के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह चैंपियनशिप खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर होगी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु और वर्गों के खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।

चैंपियनशिप का आयोजन आरएसएफआई के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों की सुविधा और प्रतियोगिता को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

जालंधर के बीएमसी चौक पर ट्रैफिक लाइट की तारें चोरी, सिमनल ठप

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। जालंधर के व्यस्त बीएमसी चौक पर 18 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने ट्रैफिक लाइट सिस्टम की मुख्य बिजली की तारें काटकर चोरी कर लीं। घटना रात करीब नौ बजे की बताई जा रही है। तारें कटने के बाद चौक पर लगे सभी ट्रैफिक सिमनल ठप हो गए, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ईटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। प्रशासन ने फुटेज जारी कर लोगों से आरोपितों की पहचान में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रतियोगिता के लिए तैयारी में जुटे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

स्केटिंग के प्रति युवाओं में बढ़ती रुचि को देखते हुए इस आयोजन से नए खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता के प्रति युवाओं में बढ़ती रुचि को देखते हुए इस आयोजन से नए खिलाड़ियों को भी

प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिलेगा

अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को सीखने और अपनी तकनीक बेहतर करने का अवसर प्राप्त होगा। तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप के आयोजन से शहर में रोलर स्केटिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

कानूनी कामकाज में आसान होगी पंजाबी, दो कानूनों को मिली मान्यता

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कामकाज और कानूनी प्रक्रियाओं में पंजाबी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठया है। डिफॉर्मेट ऑफ लीगल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने पंजाब होम गार्ड्स एक्ट, 1947 और पंजाब लोकल अथॉरिटीज (एडेड स्कूल्स) एक्ट, 1959 के पंजाबी पाठ को आधिकारिक कानूनी मान्यता दे दी है।

दोनों कानूनों के अधिकृत पंजाबी पाठ को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही इन कानूनों के प्रामाणिक पंजाबी संस्करण को कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई है। इससे सरकारी विभागों और संबंधित पक्षों के लिए कानूनों को पंजाबी में समझना और उनके आधार पर विभागीय कार्यवाही करना आसान होगा। पंजाब होम गार्ड्स एक्ट, 1947 के दौरान इन कानूनों के प्रावधानों को करीब आठ दशक पुराना कानून है,



जबकि पंजाब लोकल अथॉरिटीज (एडेड स्कूल्स) एक्ट, 1959 छद् दशक से अधिक पुराना है।

अब तक दोनों कानूनों का अधिकृत पंजाबी पाठ उपलब्ध नहीं था। ऐसे में इनके प्रामाणिक संदर्भ के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी पाठ पर निर्भरता रहती थी। सरकार के इस कदम से कानूनी प्रावधानों को पंजाबी भाषा में समझने की सुविधा बढ़ेगी। खासकर उन अधिकारियों और लोगों के लिए यह उपयोगी होगा, जिन्हें सरकारी कामकाज या कानूनी प्रक्रिया के दौरान इन कानूनों के प्रावधानों को समझने की आवश्यकता होती है।

